न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 24/14 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. रोशनसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत

2. राजूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील बहरोड जिला अलवर

:—— अपीलांटान

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत

2. बिल्लू सिंह उर्फ छत्रपाल पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत

3. बिरजूसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील बहरोड जिला अलवर

4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड जिला अलवर

:...... रेस्पो०

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 3.6.2014

भू-प्रबन्ध ... एवं पदेन
... अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित	:–	1.	वकील अपीलांटस	:– श्री रामेश्वर दयाल
		2.	वकील रेस्पो0	:– अशोक कुमार कांवत

निर्णय दिनांक 31.1.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद पत्र संख्या 298/2012 उनवान प्रभूसिंह बनाम बिल्लूसिंह में पारित निर्णय दिनांक 3.6.2014 के खिलाफ सहै, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी डिकी किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1072 रकबा 23 एयर, 1073 रकबा 27 एयर, 1074 रकबा 23 एयर, 1075 रकबा 27 एयर, जिसके सम्वत 2042 से पूर्व के खसरा नम्बर 634 मिन रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा थे । इस आराजी का 1/4 भाग वादीगण का है और वे काबिज काश्तकार खातेदार है । वादी बाहर रहते थे, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के पिता गुलाबसिंह पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत ने वादी के हिस्सा खसरा नम्बर 634 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का 1/4 भाग का बयनामा अपने नाम दीगर प्रभूसिंसह पुत्र नत्थूसिंह को खडा करके दिनांक 21.3.72 को तस्दीक करा दिया । यह बयनामा फर्जी है । इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम आये इन्द्राजात बातिल व बेअसर है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र डिकी किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर तर्क दिये कि विवादित भूमि अपीलांटान की खरीदशुदा आराजी है तथा अपीलांटान का उसमें हित निहित है, किन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिल्लक करके वाद पत्र डिकी करा लिया । उस वाद पत्र में अपीलांटान को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलांटान आवश्यक पक्षकार है । अतः निवेदन है कि धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । इसके पश्चात उन्होंने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये तर्क दिये कि चूंकि हम तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिये अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी होने पर अपील पेश कर दी है । अतः

Scanned by CamScanner

जानकारी के अभाव में हुई देरी को कन्डोन किया जावे । इसके पश्चात उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1072, 1073, 1074, 1075 साबिक नम्बर 634 मिन रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में वादी प्रभूसिंह का 1/4 हिस्सा था और उसने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.3.72 गुलाबसिंह, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता थे, को विक्रय कर दिया । इसके पश्चात उक्त गुलाबसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.7.86 हमने खरीद कर ली और आराजी पर काबिज हो गये । इस प्रकार विवादित भूमि से ना तो वादी का और ना ही प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध है । यह भूमि हमारी खरीदशुदा आराजी है, परन्तु वादी ने तहत न्यायालय हमको पक्षकार नहीं बनाया और पूर्व केता गुलाबसिंह के वारिसान को प्रतिवादी बनाकर उनसे इकबाल जवाब दावा दिलवा कर वाद पत्र डिक्री करा लिया, जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि में से 1/4 भाग का वादी रेस्पो0 संख्या 01 खातेदार था, जिस आराजी का बयनामा गलत तौर पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता गुलाबसिंह के नाम हुआ था, जिस तथ्य को तहत न्यायालय में प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है । जब गुलाबसिंह के ही पक्ष में हुआ बयनामा गलत है तो फिर अपीलांटस के पक्ष में हुआ बयनामा विधिसम्मत कैसे हो सकता है । अपीलांट का विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है । उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिये दफा 96 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । अपील मियाद बाहर पेश की गई है । इसलिये मियाद बिन्दू पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम दफा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । अपील के साथ अपीलांट ने बयनामा की फोटो प्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलांटस ने विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता गुलाबसिंह से खरीद की है । इस बयनामा के आधार पर अपीलांट आवश्यक पक्षकार है, परन्तु उसे वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है । आवश्यक पक्षकार होने की स्थिति में अपीलांटस का दफा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील पेश करने की इजाजत दी जाती है ।

6. इसके पश्चात मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाया जाना चाहिये

Scanned by CamScanner

और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अपीलांटस द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7. चूंकि विवादित भूमि अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि है । उसे भी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये था, परन्तु उसे वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो एक कानूनी खामी है । इसलिये अपीलांट की सुनवाई हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 3.6.2014 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 2.3.2017 को उपस्थित हों ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner